संख्या 06 /2018/ 1176/ सात-न्याय -9(बजट)-2017-800(56)/2015

प्रेषक,

उमेश कुमार ,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट **लखनऊ दिनांक 06 जनवरी,2018**

विषय- जनपद न्यायालय सहारनपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ओ0एस0डी0 अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र स0-639/अवस्थापना सेल, दिनांक 29-06-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद न्यायालय सहारनपुर के बाउण्ड्रीवाल के निर्माण हेतु आगणन रू0173.15 लाख पर प्रशासकीय/वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किश्त के रूप में **रू087.00 लाख (रूपये सत्तासी लाख मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- चूंकि प्रश्नगत कार्य हेतु सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम,कार्यदायी संस्था नामित है । अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके परियोजना प्रबन्धक सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम यूनिट-7 मेरठ को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2018 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

3- निर्माण कार्य आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों एवं कार्य प्रावधानों के अनुसार कराया जायेगा,। निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

4- कार्य की विशिष्टियाँ मानक व गुणवत्ता तथा कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की जिम्मेदारी जनपद न्यायाधीश/ कार्यदायी संस्था की होगी ।

5- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

6- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

7- दिनांक 01 सितम्बर,2017 से प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण कार्य में ई-टेण्डरिंग व्यवस्था लागू की गयी है । इसका नियमानुसार अनुपालन कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- भारत सरकार द्वारा सामग्री और सेवाओं के आपूर्ति के लिए गर्वनमेन्ट ई- मार्केट प्लेस (GeM) पोर्टल लागू किया गया है । प्रदेश सरकार द्वारा इस व्यवस्था को अंगीकार करते हुए जेम पोर्टल पर सामग्री क्रय एवं सेवाओं की आपूर्ति हेतु सूक्षम लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनांक 23 अगस्त,2017 एवं 29 अगस्त,2017 के माध्यम से दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। कार्यदायी संस्था द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

9- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, तथा समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय् व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस – 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष् 2017-2018 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय- 01-कार्यालय भवन-051-निर्माण – 07-अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0-ई-12- /दस-2018, दिनांक जनवरी,2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(उमेश कुमार)
प्रमुख सचिव

<u>सं0- 06/2018/1176(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2017 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनउ बेंच लखनऊ / जनपद न्यायाधीश सहारनपुर ।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- कोषाधिकारी, कलेक्टेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।
6- परियोजना प्रबन्धक सी0एण्ड डी0एस0 उ0प्र0 जल निगम, यूनिट-7 मेरठ।
7- वित्त ई- 12/ सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(राजेश पति त्रिपाठी)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।